आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(15–1)लेखा/आकाशि/का.भी.मे.छा.स्कूटी/स्कू. वि./छात्रवृति/2021–22/150 दिनाक–28/06/2021

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान जयपुर

विषयः– कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत स्कूटियों के रजिस्ट्रेशन बाबत्।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक एफ 23(16) लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/19–20/1069–1071 दिनांक 12.02.2020

उपयुर्क्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा कालीबाई भील छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत जिला नोडल अधिकारी घोषित कर स्कूटियों के सम्बन्धित कार्य पूर्ण कर वितरण हेतु निर्देशित किया गया था।

आपूर्तिकर्त्ता फर्म मैसर्स टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्कूटी का पाँच वर्षीय बीमा उपरान्त प्रथम पंजीयन आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के नाम से कराया जाकर सम्बन्धित महाविद्यालयों में स्कूटियों की सुपुर्दगी दी जावेंगी। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रथम पंजीयन हेतु फार्म न. 20 पर आयुक्त महोदय की ओर से समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों को हस्ताक्षर हेतु मनोनीत किया जाता है। अतः फार्म न. 20 पर हस्ताक्षर कर कम्पनी के प्रतिनिधी को उपलब्ध करावें जिससे कि स्कूटी का प्रथम पंजीयन आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के नाम हो सकें। कम्पनी द्वारा स्कूटी सुपुर्दगी पश्चात् सम्बन्धित जिला नोडल अधिकारी रांजकीय महाविद्यालय राजस्थान द्वारा फार्म न. 29 एवं 30 पर अपने हस्ताक्षर कर छात्रा के नाम पंजीयन हस्तान्तरण उपरांत वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

28/06

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 23(15–1)लेखा/आकाशि/का.भी.मे.छा.स्कूटी/स्कू. वि./छात्रवृति/2021–22/151-152 दिनाक–28/06/2021

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. क्षेत्रीय प्रबन्धक मैसर्स टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड प्लाट न. –17–18, झोटवाडा इन्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर– 302015, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(एच.आर.पवार)
वित्तीय सलाहकार

D:\All Office Data & Files\Medhavi Girls Scooty Yo Word Files\F 23(15-1).docx